कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला पन्ना (म0प्र0)

पन्ना, दिनांक ....

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 73 भोपाल शुक्रवार दिनांक 05 फरवरी 2016 एवं आबकारी आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर के पत्र क्र0 7–ठेका/2016–17/69 कैम्प भोपाल, दिनांक 08.02. 2015 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारो की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार अनुमोदित व्यवस्था एवं वैद्यानिक प्रावधानो के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित की जाती है, कि पन्ना जिले में वर्ष 2016–17 के लिये मदिरा दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण के माध्यम से न होने के परिणाम स्वरूप समस्त मदिरा दुकानों का निष्पादन टेण्डर के माध्यम से किया जाना है। वर्ष 2016–17 हेतु अर्थात दिनांक 01 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017, तक की अवधि के लिये निश्चित लायसेंस फीस पर पृथक–पृथक विहित शर्तो एवं प्रक्रिया के अधीन विदेशी मदिरा (स्प्रिट, वाईन, तथा बीयर) एवं देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानो/एकल समूहो की 31 देशी मदिरा एवं 12 विदेशी मदिरा दुकानो के (16) समूहो का निष्पादन टेण्डर के माध्यम से कलेक्टर जिला पन्ना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा कलेक्ट्रेट पन्ना के सभाकक्ष में दिनांक 01.03.2016 को अपरान्ह 14:00 बजे किया जायेगा।

इच्छुक आवेदको से देशी/विदेशी मदिरा दुकानों पर टेण्डर आमंत्रित किये जावेंगे। देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानो के आवेदको के लिए विभाग द्वारा टेण्डर प्रपत्र का मूल्य नगरपालिका क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकानो के लिए 10000/– रूपये तथा नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकानों के लिए रूपये 5000/– है। निर्धारित मूल्य के टेण्डर प्रपत्र नगद भुगतान अथवा जिला आबकारी अधिकारी पन्ना के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर/बैकर्स चैक के माध्यम से भुगतान पर उपलब्ध हो सकेंगे।

इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऐसी मदिरा दुकानो का विवरण मादक द्रव्यो की खपत, आरक्षित मूल्य, बेसिक लायसेंस फीस, वार्षिक लायसेंस फीस, एवं ड्यूटी दरो तथा संबधित नियमो आदि की जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी पन्ना से कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनो सहित) प्राप्त की जा सकती हैं। वर्ष 2016–17 के लिए पन्ना जिले की देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानो के (16) समूहो के फुटकर लायसेंसो का टेण्डर द्वारा निष्पादन का विवरण निम्नानुसार हैं।

टेण्डर द्वारा निष्पादन कार्यक्रम		
1	भरे हुए टेण्डर प्रपत्र जमा करने का स्थान तिथि व समय।	आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में दिनांक 28 फरवरी 2015 की 13:00 बजे तक ।
		संभागीय उपायुक्त आबकारी सागर के कार्यालय में दिनांक 29 फरवरी 2016 की 13:00 बजे तक।
		जिला आबकारी अधिकारी पन्ना के कार्यालय में दिनांक 01.03.2015 को दोपहर 13:00 बजे तक।
2	प्राप्त टेण्डर प्रपत्रो को खोलकर निष्पादन की कार्यवाही का स्थान, तिथि व समय।	कलेक्ट्रेट पन्ना के सभाकक्ष में दिनांक 01 मार्च 2016 दिन मंगलवार को दोपहर 14:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

नोट :– मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 55 दिनांक 06 फरवरी 2015 में मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में वर्ष 2016–17 के लिये निष्पादित की जाने वाली देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों के सन्दर्भ में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि :–

(1) किसी राष्ट्रीय राज्य मार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग के मध्य बिन्दु से 100 मीटर या उससे कम दूरी पर फुटकर मदिरा दुकान को स्थापित/अवस्थित नही किया जायेगा। साथ ही

(अ) किसी राष्ट्रीय अथवा किसी राज्य राजमार्ग से दृश्यमान किसी भी मदिरा दुकान का प्रवेश द्वारा राजमार्ग की ओर नही हो, बल्कि वह इस प्रकार स्थापित होगी कि मदिरा दुकान की पीठ राजमार्ग की ओर रहे।

(ब) किसी राष्ट्रीय अथवा किसी राज्य राजमार्ग से किसी भी मदिरा दुकान पर लगा हुआ साईन बोर्ड, दृश्यमान नहीं होगा।

(स) किसी राष्ट्रीय अथवा किसी राज्य राजमार्ग पर किसी भी मदिरा दुकान का इंगित/सूचित किये जाने वाला बोर्ड भी दृश्यमान नहीं होगा।

परन्तु उपनियम–(1) के उपबंध नगरीय निकाय क्षेत्रो (नगर निगम/नगर पालिका तथा नगर पंचायत) की परिसीमा में स्थित किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग के खण्ड/भाग मे स्थापित/अवस्थित मदिरा दुकानों पर लागू नही होंगे। एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 73 भोपाल शुक्रवार दिनांक 05 फरवरी 2016 की कंडिका क्र. 18.26 के अनुसार, अनुज्ञापित मदिरा दुकान के लिये जिला समिति द्वारा घोषित निर्धारित क्षेत्र (Location) में आपत्ति रहित स्थल खोजकर वहाँ दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व लायसेंसी का होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित एवं आदेशित)

17.02.16

जिला आबकारी अधिकारी
जिला पन्ना (म0प्र0)

पृ0क्र0/304 /आब/ठेका/2016–17 पन्ना दिनांक 17/02/2016

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन वाणिज्यकर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आबकारी आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय म0प्र0 शासन जन सम्पर्क संपर्क भवन, वाणगंगा रोड भोपाल की ओर विज्ञप्ति की 10 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि कम से कम 02 स्थानीय स्तर के समाचार पत्र, 02 राज्य स्तर के समाचार पत्र, 03 संभागीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ।
6. उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता .... की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पन्ना की ओर सूचनार्थ।
8. सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी जिला .... की ओर सूचनार्थ।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ...., जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, (एन.आई.सी.) पन्ना की ओर जिले की वेबसाईड में अपलोड करें।
11. सहायक संचालक जन सम्पर्क पन्ना की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित ।
12. सहायक जिला आबकारी अधिकारी पन्ना उपरोक्त विज्ञप्ति (निष्पादन योग्य एकल समूहों की सूची सहित) का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित करें।
13. आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त पन्ना, अजयगढ, एवं पवई की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।
14. मद्यभांडागार अधिकारी पन्ना/अमानगंज की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।

17.02.16

जिला आबकारी अधिकारी
जिला पन्ना (म0प्र0)